विविध बैंक प्रकरण सं. 27/2021 (RCMS 2021/79) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में आन्ध्रा बैंक) शाखा 98 वृन्दावन विहार, गगन पथ, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम 1. मैसर्स पुष्प एग्रो फूड्स –प्रो. श्रीमती सन्तोष जग्गा पत्नी श्री रमेश कुमार जग्गा निवीस प्लॉट नं. ई–130–131, इण्डस्ट्रीयल एरिया, उद्योग विहार, रीको, फेज–प्रथम, श्रीगंगानगर एवं 3–जी–7, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर 2. रमेश कुमार जग्गा पुत्र श्री सैन दास जग्गा 3. नवीन कुमार जग्गा पुत्र श्री रमेश कुमार जग्गा निवासी ए 20 निकुन्ज विहार, चौताली नगर एनक्लेव के सामने, सेक्टर 17 के पास, श्रीगंगानगर , 15 सी आनन्द विहार, श्रीगंगानगर , 3–आई–12 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर एवं 3–जी–7 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर 4. मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री जरिये पार्टनर्स 1. रमेश कुमार जग्गा पुत्र श्री सैन दास जग्गा एवं नवीन कुमार जग्गा पुत्र श्री रमेश कुमार जग्गा, प्लॉट नं. ई 130–131, इण्डस्ट्रीयल एरिया, उद्योग विहार, रीको फेज–प्रथम, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सौरभ खण्डेलवाल की बहस पूर्व में सुनी ज चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 15.06.2021 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण **मैसर्स पुष्प एग्रो फूड़स –प्रो. श्रीमती संतोष रानी, रमेश कुमार जग्गा, नवीन कुमार जग्गा एवं मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री** को ऋण सुविधा के रूप में 330/– लाख रूपये (अखरे रूपये तीन करोड़ तीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 30.11.2016 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री पार्टनर्स रमेश जग्गा एवं नवीन जग्गा की सम्पत्ति प्लॉट नं. ई 130–131 (8000 वर्गमीटर), उद्योग विहार, रीको श्रीगंगानगर एवं हाइपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, आल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बुक—डेब्ट्स, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फिचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्ट इत्यादि प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.12.2020 को 4,97,13,371/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 05.03.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किये गये, जिसकी प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिसों की तामील के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन टैक एवं दो समाचार पत्र सीमा संदेश एवं बिजनैस स्टैण्डर्ड की प्रतियां भी पत्रावली में उपलब्ध है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई उक्त संपत्तियों** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया [illegible] के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स पुष्य [illegible] रमेश कुमार जग्गा, नवीन कुमार जग्गा एवं [illegible] निंग फैक्ट्री** को 330/— लाख रूपये (अखरे रूपये तीन करोड़ तीस लाख [illegible]त्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.11.2016 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

अप्रार्थी मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री पार्टनर्स रमेश जग्गा एवं नवीन जग्गा की सम्पत्ति प्लॉट नं. ई 130–131 (8000 वर्गमीटर), उद्योग विहार, रीको श्रीगंगानगर एवं हाइपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, आल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फिचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्ट इत्यादि प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थी ऋणी एवं गारंटर को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 05.03.2021 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये** है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के नोटिस की पावती के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं बिजनैस स्टैण्डर्ड में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस तामील होना माना जाना उचित है

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि / वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्र में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों / जमानतदारों पर होना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:14 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई **अप्रार्थी मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री पार्टनर्स रमेश जग्गा एवं नवीन जग्गा की सम्पत्ति प्लॉट नं. ई 130–131 (8000 वर्गमीटर), उद्योग विहार, रीको श्रीगंगानगर एवं**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

हाइपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ रॉ—मैटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, आल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक—डेब्ट्स, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फिचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्ट इत्यादि जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.03.2021 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थी ऋणी व गांरटर को नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 05.03.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.03.2021 को भिजवाये गये है, परिणास्वरूप पोस्ट ऑफिस की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की प्रति एवं दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं बिजनैस स्टैण्डर्ड की प्रतियां भी पेश की है, जिसके [illegible] अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। [illegible] अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **मैसर्स नवीन ऑयल जिनिंग फैक्ट्री पार्टनर्स रमेश जग्गा एवं**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नवीन जग्गा की सम्पत्ति प्लॉट नं. ई 130—131 (8000 वर्गमीटर), उद्योग विहार, रीको श्रीगंगानगर एवं हाइपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक ऑफ रॉ—मैटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, आल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक—डेब्ट्स, आउटस्टैण्डिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल्स, फर्नीचर, फिचर्स एण्ड फिटिंग्स, इक्युपमेन्ट इत्यादि प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सभी संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई उक्त संपतियों का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:12:14 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर